

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया

(कल्याण-शाखा)

अल्पकालीन सूचना

अररिया अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में विकास मित्र के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य दिवस को संबंधित प्रखंड कार्यालय एवं नगर परिषद में जमा किया जा सकता है। जो निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कार्य विषय	अवधि
1.	अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन	17.08.2022
2.	प्रखण्ड वार / नगर निकाय वार रिक्तियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन	25.08.2022
3.	संबंधित प्रखण्ड / नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करना	29.08.2022 से 16.09.2022
4.	मेधा सूची तैयार करना एवं मेधा सूची का प्रकाशन	21.09.2022
5.	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निष्पादन करना	22.09.2022 से 30.09.2022
6.	चयन सूची का प्रकाशन	07.10.2022
7.	नियोजन पत्र का वितरण, शपथ ग्रहण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला	11.10.2022

रिक्तियों की विवरणी:-

क्र.सं.	प्रखण्ड/नगर का नाम	रिक्तियों की सं०	पंचायत / वार्ड का नाम	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
1.	रानीगंज	02	छतियौना	मुसहर	महिला
			कालाबलुआ	मुसहर	सामान्य (महिला/पुरुष)
2.	कुर्साकांठ	01	डुमरिया	मुसहर	महिला
3.	जोकीहाट	01	गैरकी मसुरिया	हाड़ी	महिला
4.	नगर परिषद, अररिया	02	वार्ड सं० 1+2	चमार	महिला
			वार्ड सं० 15+16	डोम	सामान्य (महिला/पुरुष)

चयन हेतु अर्हता:-

- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जायेगा तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र रहने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन मैट्रिक, नौवीं पास, आठवीं पास, सातवीं पास, छठीं पास एवं पांचवीं पास का नियोजन किया जा सकेगा।
- महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा। बशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो।
- महादलित आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वही के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं चयन किया जायेगा।

चयन की प्रक्रिया:-

- आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय/ नगर परिषद् कार्यालय तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय/ शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अररिया का कार्यालय होगा।
- आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नक:-
 - मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। नन मैट्रिक के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/ समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवीं से पांचवीं पास तक के अभ्यर्थियों के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - जाति प्रमाण पत्र।
 - निवास प्रमाण पत्र।
- प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
- अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar एवं <https://araria.nic.in> पर देखा जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी,
अररिया।

M
11/08/22

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम सं०-

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

निर्धारित जाति बहुलता _____
आरक्षण (महिला) _____

आवेदक द्वारा भरा जाएगा

(जिस पंचायत/वार्ड (शहरी) के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसका नाम)
पंचायत / वार्ड (शहरी) _____
प्रखण्ड / नगर निकाय _____

1. आवेदक / आवेदिका का नाम
2. पिता / पति का नाम
3. माता का नाम
4. जाति

पासपोर्ट आकार का
अभिप्रमाणित
फोटो चिपकाएँ

6. (क) जन्मतिथि दिन माह वर्ष
- (ख) उम्र (दिनांक 01.01.2022 को) वर्ष माह दिन

7. स्थायी निवास

- (क) टोला/गाँव /मुहल्ला _____
- (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) _____
- (ग) प्रखण्ड/ नगर निकाय _____
- (घ) जिला _____, (च) राज्य _____ (छ) पिन कोड _____
- (ज) फोन/मोबाईल न०

8. शैक्षणिक योग्यता

क्र. सं.	मैट्रिक/सामकक्ष/8वीं/5वीं परीक्षा	उत्तीर्णता का वर्ष	संस्था/बोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत

धोषणा :- मेरी जानाकारी और विश्वास मे मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएँ सार्थक हैं एवं इसके असत्य पाए जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान - _____

दिनांक - _____

आवेदक का पूरा नाम _____ हस्ताक्षर _____
नोट:- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें:- (राजपत्रित पदाधिकारी या किसी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या उच्च विद्यालय के शिक्षक द्वारा सत्यापित होना चाहिए) 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, 2. जाति प्रमाण पत्र, 3. आवासीय प्रमाण पत्र

३<-----३<-----३<

विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमति _____ पिता/पति श्री _____

(क) टोला/ गाँव/मुहल्ला _____, (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) _____, (ग) प्रखण्ड/ नगर निकाय _____

_____ (घ) जिला _____ का आवेदन पत्र विकास मित्र के नियोजन हेतु दिनांक _____

का प्राप्त किया। इन्होंने पंचायत/वार्ड (शहरी) _____, प्रखण्ड/ नगर निकाय _____

जिला _____ के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र. सं. _____ है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर